कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

कार्यालय आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–I/12102/शाशि ग्रेड III/सीभ/वो–I/2017–18 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 हेतु लेवल 10 के पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु जिला आवंटन कर कार्यालय को सुपूर्द किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर एतद्विषयक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अध्याधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– (अक्षरे तेईस हजार सात सौ रूपये) अथवा पूर्व से राजकीय सेवा में होने की स्थिति में नियम 24 के अनुसार विद्यमान वेतन देय होगा ।

01- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिर्पोट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।

02- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।

03- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे ।

04- आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे ।

05- इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगें ।

06- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जावे । अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्ण में ही प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

07- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा ।

08- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणिकरण की पुष्टि करने एंव उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे ।

09- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुमपाल एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्वता (अन्डरटेकिंग) देनी होगी।

10- पदस्थापन आदेश विभागीय वैबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है ।

11- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।

12- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनी) कर अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।

13- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

14- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग केआदेश कमांक एफ–12(9)एफडी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा ।

15- वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ–12(9)एफडी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी ।

16- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्ययधीन रहेगी ।

17- शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधीन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्ययधीन होगी ।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 07-02-2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा । उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।(राज्य निर्वाचन आयोग राज0 जयपुर से अनुमति उपरान्त प्रसारित)

संलग्न–

1. **आदेश सूची पृष्ठ संख्या : 01**

Sd

(देवी सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

कमांक–जिशिअ/मुमाशि/अज/संस्था–1/शाशि.III.2018/2019/ 940 दिनांक 28.01.2020

प्रतिलिपि –

01– शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान बीकानेर ।
02– शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर ।
03– सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
04– निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
05– संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर ।
06– मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर ।
07– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा अजमेर ।
08– समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीनगर/सरवाड/केकडी/भिनाय/जवाजा/मसूदा/अंराई/किशनगढ/पीसांगन/संस्था प्रधान संबंधित .... को मय अभ्यर्थीयों के मूल पत्रावली व्यक्तिगत पंजिका में संधारण हेतु ।
09– प्रभारी वरिष्ठता प्रशाखा कार्यालय हाजा
10– निर्देशन पत्रावली

(देवी सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक–शिक्षा, अजमेर

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा–2018 के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा गैर–अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश सूची –

कमांक–जिशिअ / मुमाशि / अज / संस्था–1 / शाशि.III.2018 / 2019 / 940 दिनांक 28.01.2020

S.No.	Roll No.	PSC Merit	CAT	Selection Cat	Candidate Name	Date of Birth	Address	Alloted District	Place of Posting	Block	Candidate Photo
1	507364	11928	GEN	GEN	CHANDRABHAN YADAV	20-Dec-90	KATESAR KATESAR - KATESAR PINCODE 221008 DIST.Chandauli	AJMER	GOVT NAVEEN SECONDARY SCHOOL GULABBARI, AJMER(U) (08211504309) (AJMER SOUTH (SC))	AJMER(U)	

28.1.2020
देवी सिंह
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर